

छत्तीसगढ़ औषधि एवं चिकित्सा सामग्री नीति

प्रस्तावना

औषधि एवं चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति स्वास्थ्य संबंधी सेवायें प्रदाय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के इस महत्वपूर्ण अंग पर बहुधा उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि अपेक्षित है। इसी कारण से राज्य सरकार ने इस संबंध में एक नीति बनाने का निर्णय किया है। इस नीति के क्रियान्वयन से औषधि तथा चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप औषधि तथा चिकित्सा सामग्री का औचित्यपूर्ण उपयोग एवं प्रबंधन हो सकेगा। यह प्रक्रिया औषधि और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति, वितरण और उपयोगिता को अधिक सक्षम, प्रभावी एवं जवाबदेह बनायेगी, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्थित चिकित्सा प्रणाली गरीबी की समस्या को काफी हद तक कम करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है। परिवार की स्वस्थ चिकित्सा पर आय का जो हिस्सा व्यय होता है उसका उपयोग परिवार के विकास में किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं की उपयोगिता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि इन केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य औषधि एवं चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित हो सके। चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदाय की जाने वाली अधिकतर सेवाओं का उपयोग महिलाएं एवं बच्चे करते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि महिलाओं एवं बच्चों को दी जाने वाली औषधियों की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाय। छत्तीसगढ़ राज्य की औषधि एवं चिकित्सा सामग्री नीति का मूल उद्देश्य सुरक्षित, प्रभावी एवं उच्च गुणवत्ता की अनिवार्य औषधियों एवं चिकित्सा सामग्री की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करके छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। साथ ही इस नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि दवाओं के गैर औचित्यपूर्ण, और अवैज्ञानिक उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके क्योंकि इससे न केवल गरीब जनता को अनावश्यक व्यय करना पड़ता है, वरन् यह दवायें अक्सर खतरनाक भी होती हैं।

इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा –

1. राज्य की जनता को उचित मूल्य पर सुरक्षित, प्रभावी और उच्च गुणवत्ता की अनिवार्य दवाएं एवं चिकित्सा सामग्री हर समय उचित मूल्य पर उपलब्ध हो।
2. वंचित वर्गों को समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर सेवायें मिलें।
3. बेहतर विनियमन, बेहतर प्रशिक्षण, दवाओं संबंधी सूचनाओं के प्रसार, औचित्यपूर्ण नुस्खे लिखने, बेहतर दवा वितरण, और मरीजों के द्वारा दवाओं के सही उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही में दवाओं के औचित्यपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जाय।
4. सार्वजनिक क्षेत्र में औषधियों और चिकित्सा सामग्री के क्रय, भंडारण, वितरण, एवं उपयोग के लिये पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित एक प्रभावी संगठनात्मक ढांचा गठित किया जाय।
5. औषधियों और चिकित्सा सामग्री के क्रय, भंडारण, वितरण उपयोग एवं विनियमन के लिये राज्य में हर स्तर पर अर्ह और प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हों।

उपलब्धता एवं पहुंच –

राज्य की जनता को उचित मूल्य पर सुरक्षित, प्रभावी और उच्च गुणवत्ता की अनिवार्य दवाएं एवं चिकित्सा सामग्री हर समय उचित मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिये। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं की पहुंच पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग चिकित्सा के लिये निजी क्षेत्र पर निर्भर हैं। अनेक औषधियों और चिकित्सा सामग्रियों की ऊंची कीमतों के कारण उन्हें खरीदना गरीब लोगों के लिये कठिन होता है। इसलिये गरीबों द्वारा

खरीदे जा सकने वाले मूल्य पर औषधियां और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की कम कीमत की दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने से संभव है। सार्वजनिक क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने के लिये स्वास्थ्य संस्थाओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, और स्वेच्छक कार्यकर्ताओं को पर्याप्त मात्रा में औषधियों और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। निजी क्षेत्र में कम कीमत की दवायें उपलब्ध कराने के लिये औचित्यपूर्ण नुस्खे लिखना और दवा के औचित्यपूर्ण उपयोग तथा औषधियों संबंधी जानकारी के प्रसार को बढ़ावा दिया जायेगा। साथ ही औषधियों के बाजार का उचित विनियमन भी किया जायेगा। राज्य स्वेच्छक संगठनों द्वारा बिना लाभ की औषधि और चिकित्सा सामग्री की दुकानें स्थापित करने को बढ़ावा देगा।

अनिवार्य दवाओं की सूची

छत्तीसगढ़ शासन ने सर्वसंबंधित लोगों के साथ चर्चा करके अनिवार्य दवाओं की सूची तैयार की है। इस चर्चा का उद्देश्य यह था कि इस सूची में अनिवार्य दवाओं के सर्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर ही दवायें सम्मिलित की जायें। अनिवार्य दवायें मूल दवायें हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और जनता की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपरिहार्य हैं। यह दवायें निर्धारित स्वास्थ्य संस्थाओं में एवं निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदायकर्ताओं के पास उचित खुराक में हर समय उपलब्ध रहनी चाहिये। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नानुसार हैं: –

1. औषधियों को उनके जेनेरिक नाम अथवा अंतर्राष्ट्रीय गैर प्रोप्राइटरी नाम से अनिवार्य दवाओं की सूची में रखा गया है। शासन ने आदेश जारी किये हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में दवायें केवल जेनेरिक नाम से ही क्रय की जायेंगी। शासन निजी क्षेत्र में भी जेनेरिक लेबल लगाने सहित जेनेरिक नीति लागू करने का प्रयास करेगा। शासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदाय की जाने वाली सभी दवाओं पर हिंदी में लेबल लगाये जायें।
2. आवश्यक औषधियों का चयन "मानक चिकित्सा संदर्शिका" के आधार पर किया गया है, और इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया है: –
 1. छत्तीसगढ़ राज्य में व्याप्त बीमारियों की स्थिति ।
 2. औषधियों की वास्तविक आवश्यकता।
 3. दवाओं की प्रभावी क्षमता।
 4. दवाओं का सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण होना ।
 5. अन्य उपलब्ध दवाओं से इलाज में प्रभावी होने की तुलना।
 6. स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चतम से निम्नतम स्तर तक किस स्तर का इलाज उपलब्ध कराना है।
 7. दवा की कीमत विशेष रूप से इस दवा द्वारा पूर्ण उपचार की कीमत।
3. शासन यह सुनिश्चित करेगा कि अनिवार्य दवाओं की सूची में शामिल दवाओं के अतिरिक्त अन्य दवाओं की आवश्यकता यदि कुछ प्रकरणों में चिकित्सा के लिये पड़ती है तो उनपर होने वाले व्यय के लिये स्थानीय स्तर पर धन उपलब्ध हो।
4. अनिवार्य दवाओं की सूची में प्रत्येक 2 वर्ष में दवाओं के संबंध में उपलब्ध अद्यतन जानकारी के आधार पुनर्विचार कर पुनरीक्षण किया जायेगा। शासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस सूची में उचित संख्या में ही दवायें सम्मिलित हों। निश्चित मात्रा में सम्मिश्रण वाली औषधियां एवं नयी औषधियां इस सूची में तभी शामिल की जायेंगी जब वह पहले से शामिल औषधियों से अधिक प्रभावाशाली हों ।

सार्वजनिक क्षेत्र में औषधियों एवं चिकित्सा सामग्री का क्रय

गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य दवाओं और चिकित्सा सामग्री को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध संसाधनों से पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीकृत दर निर्धारण और क्रय तथा कॉस्ट इफेक्टिव वितरण का पूरा लाभ उठाते हुये क्रय करने की प्रणाली विकसित की जायेगी। शासन सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्षम पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया अपनाई जाय।

सार्वजनिक क्षेत्र में औषधियों एवं चिकित्सा सामग्री का वितरण

सभी स्तर की चिकित्सा संस्थाओं में दवाओं एवं चिकित्सा सामग्री के भंडार के प्रबंधन की उचित प्रणाली, मैनुअल और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। यह औषधियों और चिकित्सा सामग्री की अच्छी गुणवत्ता बनाये रखने के लिये तथा वेस्टेज कम करने के लिये आवश्यक है। भंडार के प्रबंधन, स्कंध पर नियंत्रण, प्रशासन, वित्त एवं लेखा आंतरिक नियंत्रण तथा लेखा परीक्षण के लिये एक कमप्युटरीकृत प्रणाली विकसित की जायेगी। शासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि भंडार का प्रबंधन विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में अलग-अलग मौसम और अलग-अलग परिस्थितियों में होनी वाले मांग में बदलाव के प्रति संवेदनशील हो।

औषधियों के प्रदाय के लिये वित्तीय व्यवस्था -:

यद्यपि औषधियों और चिकित्सा सामग्री के क्रय के लिये उपलब्ध धन सीमित है, तथापि अनिवार्य जीवन रक्षक औषधियों और चिकित्सा सामग्रियों की नियमित उपलब्धता सभी समय सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेंगे। उपयोगकर्ताओं से फीस लेने जैसे अतिरिक्त संसाधन जुटाने की प्रणालियों पर भी विचार किया जायेगा। इस बात के विशेष प्रयास किये जायेंगे कि उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग हो और वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो।

निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना

1. प्रदेश में उपलब्ध और लोगों उपयोग की जाने वाली सभी औषधियां और चिकित्सा सामग्री सुरक्षित प्रभावी और उच्च गुणवत्ता की होना चाहिये। यह ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट और उसके अंतर्गत बने नियमों का पालन सुनिश्चित करने से ही हो सकता है। राज्य औषधियों के निर्माण, आयात, वितरण एवं विक्रय के संबंध में राष्ट्रीय औषधि नीति के क्रियान्वयन के लिये भी कृतसन्कल्पित है। उद्योगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित अच्छी निर्माण प्रविधियों के पालन के लिये बढ़ावा दिया जायेगा। शासन दवा उद्योग को गुणवत्ता मानकों के सुधार में सहायता देगा। उचित नियंत्रण, निरीक्षण, नमूने लेने और विश्लेषण द्वारा दवा के बाजार पर सतत् दृष्टि रखी जायेगी।
2. शासन ऐसी सभी औषधियों के पंजीयन की एक योजना लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी जिनका विक्रय छत्तीसगढ़ में होता है, चाहे उनका निर्माण कहीं पर भी क्यों न हुआ हो। इस पंजीयन में निम्नलिखित बातों की जानकारी सभी औषधि विक्रेताओं को देनी होगी - (1) औषधि निर्माण में उपयोग में लाये जाने वाले रसायन/सामग्री के प्रभावी होने एवं सुरक्षित होने के संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन, (2) औषधि निर्माण के लाइसेंस का उस प्रदेश से सत्यापन जहां से लाइसेंस जारी किया गया हो, (3) औषधीय एवं रासायनिक तथ्यों तथा स्थायित्व की जानकारी, बैच अंकित करना, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि की जानकारी।
3. राज्य की एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। इस प्रयोगशाला में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आपूर्ति की जाने वाली औषधियों का परीक्षण किया जायेगा।
4. निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की एक प्रणाली विकसित की जायेगी। राज्य की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के अतिरिक्त इनका उपयोग भी सार्वजनिक क्षेत्र में क्रय की जाने वाली औषधियों के परीक्षण के लिये किया जायेगा।
5. राज्य औषधि नियंत्रक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करेंगे जिससे मानक स्तर से कम स्तर की औषधियों को बाजार से वापस किया जा सके।
6. अन्य औषधि नियंत्रक एवं औषधि क्रय संगठनों के साथ जानकारी के आदान प्रदान एवं समन्वय की प्रणाली विकसित की जायेगी।
7. ऐसी ढांचागत व्यवस्था और सूचना प्रणाली बनाई जायेगी जिससे शासन एवं स्थानीय औषधि निर्माता एवं वितरक शीघ्र कार्यवाही कर सकें और औषधियों की कमी न हो।

औचित्य पूर्ण औषधि उपयोग

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में औषधियों के नुस्खे लिखने, वितरण और मरीज़ को देने का कार्य औचित्यपूर्ण तरीके से किया जाय जिससे औषधियों का अधिक से अधिक लाभ कम से कम मूल्य पर हो सके। इसके लिये निम्नलिखित बातों की जायेंगी: –

1. सार्वजनिक क्षेत्र में एक पारदर्शी और जवाबदेह औषधि क्रय एवं वितरण प्रणाली हो।
2. घातक एवं प्रतिबंधित औषधियों के संबंध में वैधानिक प्रावधान कड़ाई से लागू किये जायं।
3. औषधियों के औचित्यपूर्ण उपयोग से संबंधित कार्य सभी स्तरों पर लोक स्वास्थ्य की अन्य बातों के साथ समेकित किये जायं।
4. सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही की औषधि पर्चियों का समय – समय पर अंकेक्षण कराया जायेगा जिससे औचित्यपूर्ण औषधि उपयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके।
5. सार्वजनिक क्षेत्र में औषधियों की पर्चियां जैनेरिक से ही लिखी जायेंगी और मानक चिकित्सा संदर्शिका के आधार पर होंगी।
6. शासन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में ही अनिवार्य औषधियों और औषधियों के औचित्यपूर्ण उपयोग के सिद्धांत को बढ़वा देगा और नियमति रूप से इसकी समीक्षा भी करेगा। निजी क्षेत्र में जेनेरिक नामों के उपयोग और स्व-नियंत्रण को प्रोत्साहन दिया जायेगा, तथा व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से अनिवार्य औषधियों के सिद्धांत को बढ़वा दिया जायेगा।

प्रशिक्षण

हर स्तर पर चिकित्सा संबंधी सेवायें देने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को अनिवार्य दवाओं के सिद्धांत, तथा दवाओं के औचित्यपूर्ण उपयोग में पूरी तरह प्रशिक्षित किया जायेगा, जो औषधियों के नुस्खे लिखते हों, बीमारियों का निदान करते हों और औषधियों का वितरण करते हों। इसमें शासकीय सेवा के प्रारंभ में और सेवा के दौरान दोनों ही प्रशिक्षण शामिल हैं। व्यावसायिक संगठनों से इस बात की मदद मांगी जायेगी कि इस प्रकार का प्रशिक्षण चिकित्सा व्यवसाय में लगे हुये लोगों के पंजीयन के चालू रहने की शर्त बनाया जाय। सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ताओं के औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में अनिवार्य दवाओं के सिद्धांत और दवाओं के औचित्यपूर्ण उपयोग को शामिल करने का प्रयास किया जायेगा।

औषधि संबंधी सूचनायें

सूचना संचार के माध्यमों से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, रोगियों एवं आम जनता को औषधियों और टीकों के बारे में सही, तात्कालिक, स्थानीय, उपयुक्त, नैतिक और बिना किसी बायस के जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। शासन में अनिवार्य दवाओं की सूची, ड्रग फार्मुलरी तथा मानक चिकित्सा दिशा निर्देशों का प्रकाशन पहले ही कर दिया है। इनका विस्त्रत प्रचार-प्रसार किया जायेगा। निजी क्षेत्र में अनावश्यक औषधियों के प्रयोग को एक गंभीर समस्या मानते हुये शासन प्रारंभिक रूप से छत्तीसगढ़ में बिकने वाली समस्त औषधियों की शासन को सूचना देना, और उनके प्रभाव आदि के संबंध में सभी जानकारी देना अनिवार्य करेगा। यह जानकारी एक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी। उम्मीद की जा सकती है कि यह जानकारी सर्वसंबंधित लोगों में एक बेहतर नियंत्रण प्रणाली के लिये माहौल बनाने में सहायक होगी। एक राज्य औषधि एवं इलाज निजी सलाहकार समिति बनाई जायेगी जो इस क्षेत्र में कार्य के इच्छुक समूहों की भागीदारी से स्वास्थ्य प्रदायकर्ताओं और जनसामान्य पर केन्द्रित सूचना शिक्षा संचार रणनीति बनायेगी। शासन दवाओं के विज्ञापनों आदि में नैतिकता के लिये औषधियों के विज्ञापन के संबंध में राष्ट्रीय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करेगा।

पर्यवेक्षक एवं मूल्यांकन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस नीति में सम्मिलित सभी मार्गदर्शी सिद्धांतों के पालन का सतत् पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की औषधि नीतियों के पर्यवेक्षण सूचकों पर आधारित सूचक विकसित किये जायेंगे। औचित्यपूर्ण औषधि उपयोग, और औषधि के उपलब्धता के पर्यवेक्षण के लिये नियमित सर्वेक्षण भी किये जायेंगे।